कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष 0755–2674248, 2674318 फैक्स 0755–2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/2022/ 2228 भोपाल, दिनांक 24.3.2022

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व
3. मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी

विषय :– वन एवं वन्यप्राणी अपराध तथा इसमें लिप्त/गिरफ्तार आरोपियों का डाटा विभागीय वेब पोर्टल(FOMS & ODBMS) में अपलोड करने बावत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1052 भोपाल दि. 24.10.2017 एवं पत्र क्र. 1783 दिनांक 11.12.19

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सूचना प्रोधोगिकी शाखा के द्वारा 02 विभागीय वेब पोर्टल **FOMS & ODBMS** साफ्टेवयर वन एवं वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों तथा इसमे लिप्त आरोपियों की जानकारियॉ के सांधारण हेतु तैयार किये गये है। उक्त साफ्टेवयर में आपके कार्यक्षेत्र में दर्ज समस्त अपराध प्रकरणों की जानकारी सतत् रूप से अपलोड किया जाना अपेक्षित है। उक्त जानकारी परिक्षेत्र स्तर अधिकारी के लॉगिन से दर्ज की जाती है तथा वनमण्डल व वन वृत्त स्तर से उसका सतत् अनुश्रवण किया जा सकता है।

उक्त जानकारी विभाग व शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर समय–समय पर लोक सभा, राज्य सभा व विधान सभा के प्रश्नों के जवाब तैयार करने में, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तथा वन अपराध अन्वेषण कार्य व संबंधित न्यायालयीन कार्य के प्रभावी संपादन में अत्यंत उपयोगी है। परन्तु समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आप लोगों के द्वारा उक्त दोनों साफ्वेयर में जानकारी सतत् रूप से दर्ज नही की जा रही है। जबकि इस कार्यालय द्वारा पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया है।

इसके अतिरिक्त एक बैठक दिनांक 02.12.2021 को भोपाल में आयोजित की गई थी जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थि हुये। इसमें प्रदेश में दर्ज वन अपराध व लिप्त आरोपियों संबंधी समस्त जानकारी एसटीएफ पुलिस एवं केन्द्र सरकार की वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली को रियल टाइम में भी साझा किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उक्त साफ्टेवयर का डाटा को संबंधित एजेन्सी के द्वारा भी एक्सेस किया जावेगा। जिससे प्रदेश में वन अपराध के विरूद्ध संयुक्त प्रयास से प्रभावी नियंत्रण किया जा सकें।

अतः शीध्रताशीध्र विभागीय वेब पोर्टल के दोनों साफ्टेवयर एप्लीकेशन पर जानकारी सतत् अपलोड करने हेतु अपने अधिनस्थों/परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित करें तथा सतत् अनुश्रवण करना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **FOMS & ODBMS** में अपलोड डाटा की स्थिति।

24.03.2022

(जे.एस. चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

पृ.क्रमांक/संरक्षण /2022/ 2229 भोपाल, दिनांक 24.3.2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुडा भवन भोपाल
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) सतपुडा भवन भोपाल
3. प्रभारी अधिकारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. भोपाल

की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

विभाग के पोर्टल पर दर्ज /अपलोड डाटा की जानकारी
(दिनांक 14.03.2022 की स्थिति में)

क्र.	व्रत/ टाइगर रिजर्व	FOMS पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की जानकारी	FOMS पोर्टल में दर्ज शिकार के प्रकरणों की संख्या	FOMS पोर्टल पर अपलोड कुल आरोपियों की संख्या	ODBMS पोर्टल पर दर्शित आरोपियों की संख्या	रिमार्क
1	बालाघाट	33553	917	8141	1158	
2	बैतूल	43753	140	5898	564	
3	भोपाल	59298	547	11353	1250	
4	छतरपुर	36445	539	9490	1146	
5	छिंदवाड़ा	48643	204	8140	819	
6	ग्वालियर	25272	411	13180	1213	
7	होशंगाबाद	21672	363	2953	498	
8	इन्दौर	16602	142	5173	461	
9	जबलपुर	61812	1076	13102	891	
10	खंडवा	42997	194	7329	789	
11	रीवा	27394	718	19210	1546	
12	सागर	49293	307	11827	750	
13	सिवनी	36195	364	7985	1056	
14	शहडोल	37976	991	11370	1255	
15	शिवपुरी	19279	354	10905	829	
16	उज्जैन	31095	205	8748	881	
17	बाधवगढ टाइगर रिजर्व	2694	92	339	29	
18	कान्हां टाइगर रिजर्व	7791	196	1541	299	
19	पन्ना टाइगर रिजर्व	4656	812	2360	45	
20	पेंच टाइगर रिजर्व	2026	164	837	217	
21	सतपुडा टाइगर रिजर्व	404	29	230	142	
22	सिंह परियोजना व माधव रा.उ.शिवपुरी	3244	295	2595	151	
23	संजय टाइगर रिजर्व	2347	205	1113	54	
24	राज्य स्तरीय टाइगर फोर्स	44	44	—	435	
	कुल योग	**614485**	**9309**	**163819**	**16478**	

(जे.एस. चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.